अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2018 (RCMS 2018/00195) श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री विश्वनाथ किराडू, कोठारी अस्पताल के सामने वाली गली, बीकानेर बनाम प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा/लोक सेवा गारंटी अधिनियम/ जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा/लोक सेवा गांटरी अधिनियम/जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर . के समक्ष दिनांक 22.09.2018 को सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा/लोक सेवा गांटरी अधिनियम/जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निःशुल्क सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 250/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्दनारायण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2018 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा/लोक सेवा गांटरी अधिनियम/जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. महेन्द्र मोहन पुत्र गणेशदास व्यास जरिये गोविन्दनारायण किराड़ू द्वारा दिनांक 01.09.2018 को पंजीकृत डाक से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत खातेदारी सनद का नामान्तरकरण करवाने का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को प्रेषित करते हुए आपको उसकी प्रति दी गई। सुलभ संदर्भ हेतु छायप्रति संलग्न है। कृप्या उक्त पत्र आपको कब प्राप्त हुआ पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था फरमावें एवं उक्त पत्र पर आपके कार्यालय स्तर पर सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली की नोटशीट की छायाप्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के द्वारा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण छाया प्रतियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें।

2. आपके कार्यालय से जारी सनद संख्या 45155 दिनांक 29.08.1992 प्रस्ताव विवरण वर्ष 1992—93 दिनांक 19.07.2006 का रिकॉर्ड तलफ किया गया। कृपया आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा आंशिक सूची उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक लोक सेवा / आरटीआई / 2018 / 2696 दिनांक 18.10.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई है जो निम्न प्रकार से है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जो डी.आर.ए. शाखा से संबंधित होने के कारण मूल ही कार्यवाही हेतु दिनांक 12.10.2018 को प्रभारी अधिकारी, डी.आर.ए. शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवा दिया गया।

2. बिन्दु संख्या 2 इस कार्यालस से संबंधित नहीं है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय रिकॉर्ड शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक का.रि./सू..का.अ./2018/63 दिनांक 29.10.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आप द्वारा निम्न सूचना चाही गई है :

> सनद संख्या 45155 दिनांक 29.08.1992 गणेशदास पुत्र श्री द्वारकादास निवासी बीकानेर प्रस्ताव विवरण वर्ष 1992-93 से 19.07.2006 का रिकॉर्ड तलफ किया गया। जिसकी छांयाप्रति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

आप द्वारा चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार कर भिजवाई जा रही है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी एवं
सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय रिकॉर्ड शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने मूल पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखते हुए, अपने पत्रांक सम/18/3327 दिनांक 01.11.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक निवेदन है कि प्रार्थी श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री विश्वनाथ किराडू द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी से सम्बन्धित इस शाखा में से धारित समस्त अभिलेख जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर में जमा करवा दिया गया था। इस कारण इस कार्यालय से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 13.09.2018 (संलग्न) से भिजवाई गई है। सूचनर्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी
जिला राजस्व लेखा शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को **प्रभारी अधिकारी, लोक सेवाएं/जिला राजस्व लेखा शाखा/ जिला अभिलेखागार** द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी लोक सेवाएं/जिला राजस्व लेखा शाखा/ जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ **निर्णय की** प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर